

24/04/2026

-प्रकरण प्रस्तुत।

-प्रकरण का अवलोकन किया।

-आवेदक देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता कांशीप्रसाद पाण्डेय, निवासी- ग्राम कुदुरमाल, तहसील व जिला- कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम- कुदुरमाल, प. ह.नं.-26, तहसील कोरबा, जिला कोरबा, में खसरा नम्बर 315, 301/1/ख रकबा 0.555, 0.093 हे. भूमि पर कुल 600 नग नीलगिरी वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल 150 नग रोपित नीलगिरी वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

-कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला-कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमांक/के.बी./822 कोरबा, दिनांक 09/04/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर कुल 600 नग नीलगिरी वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल- 150 नग रोपित नीलगिरी वृक्ष की कटाई करने हेतु प्ररूप-घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

-छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

-छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:-

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ङ.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर- नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

- आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ लागू नहीं होना

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।


– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्त के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 150 नग नीलगिरी वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

– यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

– संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

1287
24/11/26

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता कांशीप्रसाद पाण्डेय,
निवासी- ग्राम कुदुरमाल, प.ह.नं.-26
तहसील व जिला.-कोरबा,

विषय:- 150 नग रोपित नीलगिरी वृक्षों को काटने की अनुमति बाबत।

आवेदक देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता कांशीप्रसाद पाण्डेय, निवासी- ग्राम कुदुरमाल, तहसील व जिला- कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम- कुदुरमाल, प.ह.नं.-26, तहसील कोरबा, जिला कोरबा, में खसरा नम्बर 315, 301/1/ख रकबा 0.555, 0.093 हे. भूमि पर कुल 600 नग नीलगिरी वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल 150 नग नीलगिरी वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी कोरबा, परिक्षेत्र कोरबा, जिला-कोरबा, छ.ग. के पत्र क्रमांक/के.बी./822 कोरबा, दिनांक 09/04/2026 के अनुसार संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर कुल 600 नग नीलगिरी वृक्ष रोपित किया गया है। जिसमें से कुल- 150 नग रोपित नीलगिरी वृक्ष की कटाई करने हेतु प्ररूप-घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 150 नग नीलगिरी वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

//2//

पृ.क. 1288 / अ.वि.अ. / वाचक / 2026
प्रतिलिपि:-

// 2 //

कोरबा, दिनांक 24/04/2026

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)



Shivsom
24/4/26

OLC